झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)
संकल्प

विषयः– **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत स्वीकृत झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के प्रावधानों में अपेक्षित परिवर्तनों की स्वीकृति के संबंध में।**

विभागीय संकल्प संख्या–18 दिनांक–07.01.2021 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत स्वीकृत झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रचालन मार्गनिर्देशिका को अधिसूचित किया गया है।

02. विभागीय संकल्प संख्या–558 दिनांक–06.07.2021 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के अन्तर्गत स्वीकृत झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के लिए Corpus Fund के गठन की स्वीकृति को अधिसूचित किया गया है।

03. किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित प्रचालन मार्गनिर्देशिका में निम्न संशोधन किया जाता हैः–

- प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–16, 17 एवं 18 को निम्नरूपेण संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

  प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–16, 17 एवं 18 में वर्णित फसल क्षति का आकलन के लिए ग्राउंड ट्रुथिंग (Ground Truthing) प्रक्रिया के स्थान पर पूर्व की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किए जा रहे फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiment) के आधार पर की जाएगी, जिसके लिए प्रमुख फसल (major crop) के लिए पंचायत स्तर पर चार एवं गौण फसल (minor crop) के लिए प्रखण्ड स्तर पर सोलह फसल कटनी प्रयोग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा संपादित किए जायेंगे।

  अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा इकाईवार/फसलवार/ग्राम पंचायतवार, प्रखण्डस्तरीय, जिलास्तरीय, राज्यस्तरीय, वास्तविक उत्पादन आंकड़े एवं पृथक प्लॉटवार वास्तविक उत्पादन आँकड़े के लिए फसल कटनी प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। तत्पश्चात् अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा उनको उपलब्ध कराये गये Login ID से झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के Portal पर सभी Survey Data Upload कराते हुए आच्छादित रकबा तथा वास्तविक उपज दर आँकड़े कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा तदनुसार क्षतिपूर्ति का आकलन कर भुगतान किया जाएगा।

- प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–8 की कंडिका–(b) को निम्नरूपेण संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता हैः– **"बटाईदार किसान (रैयत से सहमति पत्र प्राप्त)–किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं एवं उन्हें रैयत से सहमति पत्र प्राप्त हो।"**

988
05.08.2022

- प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–8 की कंडिका–(c) को निम्नरूपेण संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है:– "किसान झारखण्ड राज्य का **निवासी** होना चाहिए।"
- प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–8 में नयी कंडिका–(i) का समावेश निम्नरूपेण किया जाता है:–

"लाभुक किसान के वास्तविकता के निर्धारण हेतु उनके आधार कार्ड को ही वैध माना जाएगा।"

- प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–8 के अन्तर्गत अपवाद की शर्त्तें की अंतिम कंडिका को निम्नरूपेण संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है:– **"Professionals जैसे–सभी निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और Professional Tax जमा करते हैं।"**
- प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–19 की कंडिका–2 को निम्नरूपेण संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है:– **"30 प्रतिशत तक फसल क्षति की स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।"**
- प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक–19 की कंडिका–3 को निम्नरूपेण संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है:– **"30 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार पंजीकृत किसानों को Pro Data के आधार पर फसल क्षति हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से सहायता राशि दी जायेगी:–**

फसल क्षति का प्रतिशत	राशि (रू0 में)	भूमि सीमा (एकड़ में)
30 प्रतिशत से अधिक 50 प्रतिशत तक	3000/– प्रति एकड़	0.1–5
50 प्रतिशत से अधिक	4000/– प्रति एकड़	0.1–5

पंजीकृत किसानों को उपरोक्त तालिका के अनुसार सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। यदि भुगतान राशि 100 रुपये से कम है, तो भी पात्र किसान को न्यूनतम 200 रुपये मिलेंगे।"

04. उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–29.07.2022 के मद संख्या 16 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:–03/यो0सह0 बजट (किसान राहत कोष)–06/2020.....988...../**राँची, दिनांक** ...05.08.2022.....

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

E:\S.Murmu\2022-23\Sankalp (2022-23).docx

ज्ञापांकः—03/यो0सह0 बजट (किसान राहत कोष)—06/2020.....988...../राँची, दिनांक .....05.08.2022.....

प्रतिलिपिः—मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची/सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई—गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची/निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, झारखण्ड, राँची/SIO, NIC, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, राँची/सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव—सह—विभागीय सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।